

स्वीकृत्यादेश

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

प्रेषक,

सुनील कुमार

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

महालेखाकार का कार्यालय

पो०-डोरण्डा, राँची।

TSP  
नागरिक सुविधा

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-10/07/26

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में बासुकीनाथ नगर पंचायत को श्रावणी मेला महोत्सव बासुकीनाथधाम-2026, के सफल आयोजन हेतु नागरिक सुविधा अंतर्गत TSP प्रक्षेत्र से कुल रु० 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश:** कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत के पत्रांक-284 दिनांक-24.04.2026 के द्वारा श्रावणी मेला महोत्सव बासुकीनाथधाम-2026 के सफल आयोजन हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बासुकीनाथ नगर पंचायत को नागरिक सुविधा मद अंतर्गत TSP प्रक्षेत्र से कुल रु० 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-34-शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान-01-शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक/विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-48-S-2217-80-796-34-01-06-79 से विकलनीय होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बासुकीनाथ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी दुमका, कोषागार से की जायेगी।

4. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक 113/त०को० दिनांक-21.10.2021 द्वारा विभिन्न योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निश्चित समयावधि निर्धारित की गयी है, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3468 दिनांक 08.11.2021 द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में योजना पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जागा।

8. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. उक्त प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5/न0वि0/ना०सु०-07/2016.....41/न0वि0वि0,

राँची, दिनांक-10/07/2016

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, दुमका कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/ श्री उत्कर्ष कुमार, मैनेजर आई.टी. को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास व आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।